लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 803

जिसका उत्तर बुधवार, 07 फरवरी, 2024 को दिया जाएगा

मूल्य स्थिरीकरण कोष

803. डॉ. प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडे:
श्री राहुल रमेश शेवाले:
श्री चन्द्रशेखर साहू:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केंद्र सरकार ने कृषि वस्तुओं की मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो केंद्र सरकार के पीएसएफ के तहत शामिल की गई फसलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केंद्र सरकार ने घरेलू खरीद और आयात दोनों के माध्यम से पीएसएफ के तहत दालों का बफर स्टॉक बनाया है; और

(घ) यदि हां, तो अब तक बनाए गए दालों के बफर स्टॉक की मात्रा कितनी है और पिछले दो वर्षों के दौरान कमी को पूरा करने के लिए बफर स्टॉक से जारी की गई दालों की मात्रा कितनी है?

<u>उत्तर</u>

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) और (ख): कृषि-बागवानी वस्तुओं में मूल्य अस्थिरता के कारण उपभोक्ताओं को होने वाली कठिनाई को कम करने के लिए, 2014-15 में मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) की स्थापना की गई है। अब तक मूल्य स्थिरीकरण प्रचालनों के लिए कुल 27,489.14 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता प्रदान की गई है। पीएसएफ के उद्देश्य हैं: (i) खेतों/मंडी में किसान/किसान संघों से सीधी खरीद को बढ़ावा देना; (ii) जमाखोरी और अनैतिक सट्टेबाजी को रोकने के लिए एक कार्यनीतिक बफर स्टॉक बनाए रखना; (iii) स्टॉक की अंशांकित रिलीज के माध्यम से उचित कीमतों पर ऐसी वस्तुओं की आपूर्ति करके उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना। इस स्कीम के तहत, पिछले कुछ वर्षों से दलहन (तूर, उड़द, मूंग, मसूर और चना) और प्याज का गतिशील बफर स्टॉक बनाए रखा गया है। बफर स्टॉक के रखरखाव और बफर से अंशांकित रिलीज ने मूल्य अस्थिरता को रोकने और उपभोक्ताओं को सस्ती कीमतों पर इन खाद्य वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद की है। मूल्य अस्थिरता को स्थिर करने और उन्हें सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराने के लिए पीएसएफ के तहत टमाटर और आलू के लिए भी बाजार हस्तक्षेप किया गया है।

(ग) और (घ): इस स्कीम के तहत, घरेलू और आयातित स्टॉक की खरीद और मूल्य समर्थन स्कीम (पीएसएस) के तहत खरीदे गए स्टॉक के अधिग्रहण के माध्यम से दालों का गतिशील बफर स्टॉक बनाया गया है। इसकी स्थापना के बाद से, पीएसएफ बफर के तहत कुल 91.62 लाख टन दालों का अधिग्रहण किया गया है और 86.45 लाख टन का निपटान किया गया है। 2022-23 और 2023-24 (31.01.2024 तक) के दौरान कुल 24.19 लाख टन दालें बफर से रिलाज़ की गईं।

******